



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in



प्रेस विज्ञप्ति

थाना सुरियावां जनपद भदोही

दिनांक 13.12.2025

एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट लखनऊ/यूनिट कानपुर एवं थाना सुरियावां की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 01.010 किलोग्राम अवैध मतिभ्रमकारी उत्तेजक दवा एमडीएमए (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये), 02 अदद लेबोरेट्री रिएजेंट कांच की बोतल, 02 अदद इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन किया गया बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण:-

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) मुख्यालय, लखनऊ को विगत काफी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सक्रिय तस्करों के विषय में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन, ए.एन.टी.एफ. यूनिट लखनऊ को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 13.12.2025 को ए.एन.टी.एफ. यूनिट लखनऊ व यूनिट कानपुर तथा श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में एवं श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में सुरियावां पुलिस द्वारा ग्राम महजूदा, थाना सुरियावां जनपद (संत रविदास नगर) भदोही में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर विजय कुमार दूबे पुत्र स्व० गिरिजा शंकर दूबे निवासी ग्राम महजूदा थाना सुरियावां जनपद भदोही को ग्राम महजूदा थाना सुरियावां से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1.010 किलोग्राम अवैध मतिभ्रमकारी उत्तेजक दवा एमडीएमए (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये), 02 अदद लेबोरेट्री रिएजेंट कांच की बोतल, 02 अदद इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विजय कुमार दूबे पुत्र स्व० गिरिजा शंकर दूबे निवासी ग्राम महजूदा थाना सुरियावां जनपद भदोही।

गिरफ्तारी का स्थान एवं विवरण:-

अभियुक्त को ग्राम महजूदा थाना सुरियावां से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1.010 किलोग्राम अवैध मतिभ्रमकारी उत्तेजक दवा एमडीएमए (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये), 02 अदद लेबोरेट्री रिएजेंट कांच की बोतल, 02 अदद इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद।

पंजीकृत अभियोग:-

उपरोक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना सुरियावां जनपद भदोही में मु0अ0सं0 411/2025 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस.एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

- ए०एन०टी०एफ० यूनिट लखनऊ
- 01. निरीक्षक दर्शन यादव ए०एन०टी०एफ० यूनिट लखनऊ
- 02. उ०नि० प्रवीण शेखर
- 02. हे०ना० निरेश कुमार सिंह

04. हे0का0 संगम पटेल
05. हे०का० खालिद खाँ
06.का राजन कुमार
07.म0का प्रतिमा शुक्ला
थाना सुरियावां की पुलिस टीम
01.निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह
02.हे0का0 रजत कुमार सिंह
03.का0 चन्दन गौड़
04.का0 राजकेश भारती
05.का0 पवन यादव

